भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1262
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क ब्लॉक का आवंटन

1262. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को आरक्षण के माध्यम से लौह अयस्क ब्लॉक आवंटित करने के लिए ओडिशा सरकार को अपना प्रस्ताव/ अनुरोध प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अपने पहले प्रस्ताव के बाद से आरआईएनएल को लौह अयस्क ब्लॉक दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रत्येक पत्राचार/प्रेरक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आरआईएनएल को लौह अयस्क ब्लॉक के आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या आरआईएनएल को आरक्षण के आधार पर कोई अन्य लौह अयस्क ब्लॉक दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 17 (1ए) के तहत ओडिशा के क्योंझर जिले में मलंगटोली और खंडधार के लौह अयस्क ब्लॉकों में से एक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के लिए आरक्षित करने के लिए ओडिशा सरकार को दिनांक 19 दिसंबर, 2019 के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा है। ओडिशा राज्य सरकार को दिनांक 14 अगस्त, 2020, 20 अगस्त, 2020, 7 जनवरी, 2021, 28 जून, 2021 तथा 11 अक्टूबर, 2021 के पत्रों के तहत अनुस्मारक जारी किए गए थे। ओडिशा सरकार से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। आरआईएनएल ने भी एमएमडीआर अधिनियम, 2015 की धारा 17ए के तहत लौह अयस्क ब्लॉकों के आरक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी अनुरोध किया है। आरआईएनएल को अब तक कोई कैप्टिव लौह अयस्क खदान आवंटित नहीं हुई है।

****